

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनैन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com.website:www.bsmfc.org)

(CIN No.-U65110BR 1984SGC 001964)

संख्या:- 2389 /बी०एस०एम०एफ०सी०/

पटना, दिनांक: 02-11-2021

ऋण चुकता प्रमाण पत्र

मो० बदरुद्दीन अंसारी, पिता- स्व० वली मोहम्मद अंसारी, ग्राम-सिकंदपुर, थाना-चैनपुर, भभुआ, कैमूर-821103 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के टर्मलोन योजनान्तर्गत जेनरल स्टोर टेड में दिनांक-03.03.2017 को 42,500/- (बयालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र ऋण राशि के रूप में उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके विरुद्ध मूलधन सूद सहित कुल राशि राशि 79880/- (उन्नासी हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र निगम को इनसे प्राप्त है।

दिनांक-09.03.2019 को संपन्न लोक अदालत के समक्ष संपन्न सुलह के आधार पर उनके ऋण खाता संख्या-4935 के विरुद्ध यह ऋण चुकता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा उनके ऋण खाता को बंद किया जाता है।

ज्ञापांक:- 2389

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक- 02-11-2021

प्रतिलिपि:- मो० बदरुद्दीन अंसारी, पिता- स्व० वली मोहम्मद अंसारी, ग्राम-सिकंदपुर, थाना-चैनपुर, भभुआ, कैमूर-821103 को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:- 2389

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक- 02-11-2021

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। यदि मो० बदरुद्दीन अंसारी द्वारा जमा किया गया पी. डी. सी. अवशेष है तो उन्हें लौटा दिया जाय तथा यदि इनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया गया हो तो उसे समाप्त कराने की कार्रवाई की जाय/मो. शर्फे आलम को लोन लेजर में प्रविष्ट हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- 2389

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक- 02-11-2021

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक

लेखा पदाधिकारी

लेखा पदाधिकारी

प्रबन्ध निदेशक